प्रेषक

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिसार ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
सिरसा ।

यादि कमांक– 2951 दिनांक 23/7/10

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे– होली फेथ एजूकेशन सोसायटी, मैयड़ जिला हिसार– कॉनवैन्ट स्कूल खोलने बारे ।

हवाला:– जिला नगर योजनाकार, सिरसा के यादि कमांक–5067–68 दिनांक 23.7.2010 एवं आपके पत्र कमांक–2353 दिनांक 23.6.10 के सन्दर्भ में ।

विषयक सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत जो रिपोर्ट एवं दस्तावेज इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, में दिए गए विवरण अनुसार उपरोक्त सोसायटी द्वारा गांव नानुआना तह0 रानिया जिला सिरसा की भूमि खसरा नं0– 27//15, 26//11/1/1 कुल रकबा 11 कनाल 12 मरला इस विभाग द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र रानिया के अन्दर पड़ता हैं तथा किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। आवेदित स्थल को पहुंच रानिया–खारिया 38 फुट 6 ईंच चौडी लिंक सडक से प्राप्त होती है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जिला नगर योजनाकार, सिरसा द्वारा विषयक केस में अर्बन एरिया एक्ट नं0–8 वर्ष–1975 की धारा –7 (i) की उल्लंघना नहीं माना है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के मध्यनजर विषयक स्थल पर उक्त सोसायटी द्वारा कॉनवैन्ट स्कूल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्टस एवं धाराओं से छूट प्रदान नहीं करता है ।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवं कानून लागू होंगे ।
3. विकास शुल्क एवं अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर–2 देय होगी ।
4. विषयक स्थल से सम्बन्धित एरिया नॉर्मज एवं सरकार द्वारा निर्धारित दूरियां आपके कार्यालय द्वारा चैक एवं वैरिफाई की जाएंगी
5. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किए जाने की हालत में ये अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने आप रद्द हो जाएगा ।

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिसार ।

पृ0 कमांक– दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है ।

1. वरिष्ठ नगर योजनाकार,(ई0 एण्ड.वी0)हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. जिला नगर योजनाकार, सिरसा को उनके हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में ।

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिसार ।

TECH-3-531